(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

अधिसूचना सं0 35 / 2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः 17 जनवरी, **2017**

सा.आ.(अ.): समय समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2012, अनुसूची–1 (आयात नीति) के एक्जिम कोड 080280 के तहत सुपारी के आयात की नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है:

2. आईटीसी (एचएस) 2012, अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय–8 के निम्नलिखित एक्जिम कोडों के अंतर्गत सुपारी के मौजूदा सीआईएफ मूल्य '162/– रू. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम' को संशोधित कर 251/– और उससे अधिक प्रति किलोग्राम किया जाता है। संशोधित प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी:–

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीतिगत शर्तें
	सुपारी		
08028010	संपूर्ण	मुक्त	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/– रू. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
08028020	विभाजित	मुक्त	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/– रू. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
08028030	पिसा हुआ	मुक्त	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/– रू. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
08028090	अन्य	मुक्त	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/– रू. और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: सुपारी के आयात के मौजूदा 162/– रू. प्रति कि.ग्रा. के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 251/– रू. प्रति कि.ग्रा. किया जाता है।

(ए0 के0 भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/89/180/0043/ए एम 01/ पीसी– (2)(वोल्यूम–II) से जारी)